

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें राज0 जयपुर
क्रमांक - ई-33/ले.टे./1142/2018/ दिनांक :

आदेश

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ. 11 (7) एफ.डी./नियम /2008/ दिनांक 12.09.08 एवं संशोधित आदेश क्रमांक: एफ.14 (88) वित्त (नियम)/2008-1 दिनांक 31.12.2009 एवं दिनांक 05.07.2013 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार निम्न लेब टैक्नीशियन को 18 वर्ष की सेवावधि पूर्ण होने पर निम्न प्रकार ए0सी0पी0 स्वीकृत किया जाता है :-

क्र.स.	नाम कर्मचारी	पदस्थापन स्थान	संवर्ग में नियु0 तिथि	पूर्ण सेवावधि व ए.सी.पी देय तिथि	देय चयनित वेतनमान/ए.सी.पी.
1.	श्रीमती गीता चैनानी,	अधीक्षक, सामुहिक चिकित्सालय संघ अजमेर।	15.12.1998	18 वर्ष 15.12.2016	9300-34800 4200 ग्रेड पै

उपरोक्त कर्मचारी का वेतन नियतन संबंधित अधिकारी द्वारा पृथक से किया जावेगा।

EW
(राकेश शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशा0)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राज0 जयपुर

क्रमांक :- ई-33/ले.टे./1142/2018/ 296

दिनांक : 10/05/2018

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. अधीक्षक, सामुहिक चिकित्सालय संघ अजमेर।
2. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करे (0141-2222683 एवं इमेल आई.डी. add4ng@gmail.com)
3. संबंधित कर्मचारी द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
4. आदेश/निजी पत्रावली।

EW
अतिरिक्त निदेशक (प्रशा0)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राज0 जयपुर